State Council of Educational Research & Training Chhattisgarh, Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्र./शिक्षक–शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30–1/प्रवेश/2022–23/4737 रायपुर दिनांक 28/12/2022

बी.एड. पाठ्यक्रम 2022–23 द्वितीय चरण के स्थगित आबंटन प्रक्रिया तथा इसके बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण आबंटन प्रक्रिया (प्रतीक्षा सूची) की संशोधित सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2022–23 के द्वितीय चरण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा याचिका क्रमांक WPC 591/2012 एवं अन्य याचिकाओं में दिनांक 19.09.2022 को पारित निर्णय के परिपालन में स्थगित की गई दूसरी सूची तथा आबंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची परिषद् द्वारा महाविद्यालयवार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WPC 5163/2022 में पारित निर्णय के पालनार्थ जारी किया जायेगा। प्रतीक्षा सूची से प्रवेश का कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण चरणवार	बी.एड.	
		दिनांक से	दिनांक तक
1	द्वितीय चरण की दूसरी सूची जारी करना	29.12.2022	
2	द्वितीय चरण की दूसरी सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	29.12.2022	02.01.2023
3	रिक्त सीटों की जानकारी।	03.01.2023	
4	अंतिम चरण हेतु पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि	03.01.2023	04.01.2023
5	प्रतीक्षा सूची जारी करना।	05.01.2023	
6	जारी सूची के अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना	05.01.2023	06.01.2023
7	महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची जारी करना।	09.01.2023	
8	महाविद्यालय द्वारा जारी सूची से प्रवेश प्रक्रिया।	09.01.2023	10.01.2023
9	महाविद्यालय द्वारा प्रवेश को आनलाइन अपडेट करना।	11.01.2023	

अन्य निर्देश निम्नानुसार है :–

1. जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में विकल्प फार्म जमा किया था एवं जिन्हें दोनों चरणों के दोनों सूची में महाविद्यालय आबंटित नही हुआ है उनके आवेदन पर प्रतीक्षा सूची के लिए विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्री.बी.एड.परीक्षा 2022 में सम्मिलित नये अभ्यर्थी या जिन्हें पूर्व में महाविद्यालय आबंटित हुई थी परन्तु उन्होंने प्रवेश नही लिया वे भी निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते है।
2. किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम प्रतीक्षा सूची में नही आयेगा।
3. प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों ने जिन–जिन महाविद्यालयों का विकल्प लिया है। उन सभी महाविद्यालयों के प्रतीक्षा सूची में उस अभ्यर्थी का नाम आयेगा। इस कारण अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची का वेबसाइट में प्रकाशित होने का इंतजार न करें एवं महाविद्यालय में आवेदन करने के लिए निर्धारित तिथि में जिन महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते है व जहां का विकल्प लिया वहां आवेदन कर सकते है।

4. प्रतीक्षा सूची में नाम आने के बाद जिन महाविद्यालयों के प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम आया है उनमें से जहां–जहां अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है उस महाविद्यालय में अभ्यर्थी स्वयं जाकर निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न कर अपना मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा। निर्धारित प्रपत्र वेबसाइट में उपलब्ध है।
5. महाविद्यालयवार प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी के प्री बी.एड.परीक्षा 2022 के संयुक्त मेरिट क्रम अनुसार प्राप्त आवेदनों में से जारी किया जायेगा।
6. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित महाविद्यालय से पावती प्राप्त करें। महाविद्यालय भी आवेदनकर्ता अभ्यर्थी को सील लगाकर पावती उपलब्ध करावें।
7. महाविद्यालय व्यापम द्वारा आयोजित प्री बी.एड.परीक्षा 2022 के प्राप्तांक के आधार पर व्यापम द्वारा जारी संयुक्त मेरिट क्रम के अनुसार मेरिट सूची बनायेगा।
8. महाविद्यालय प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्धारित तिथि को मेरिट क्रम जारी करेगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी के वर्ग एवं संवर्ग की जानकारी अंकित करनी होगी। महाविद्यालयवार मेरिट सूची की जानकारी अभ्यर्थी महाविद्यालय जाकर पता करेगें। महाविद्यालय को निर्धारित तिथि में सूचना पटल पर मेरिट सूची चस्पा करना आवश्यक होगा।
9. प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि में महाविद्यालय मेरिट से अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा। महाविद्यालय इस चरण के आबंटन प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा याचिका क्रमांक WPC 591/2012 एवं अन्य याचिकाओं में दिनांक 19.09.2022 को पारित निर्णय में SC/ST/OBC वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में उल्लेख प्रावधानो के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया करें। यदि किसी वर्ग में अभ्यर्थी नही मिलने पर परस्पर सीट्स को नियमानुसार परिवर्तन कर प्रवेश प्रक्रिया करना होगा।
10. ऑनलाइन अपडेट करने के बाद ही अभ्यर्थी का आबंटन पत्र जारी होगा।
11. मेरिट अतिक्रमण की शिकायत होने पर संबंधित महाविद्यालय के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रतीक्षा सूची से प्रवेश उक्त महाविद्यालय के लिए निरस्त भी किया जा सकेगा। परिषद् में शिकायत करते समय निर्धारित प्रारूप में जमा किये गये आवेदन की पावती की छायाप्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
12. शेष नियम शर्ते पूर्ववत ही रहेंगे।

NBhambri

(डॉ. निशी भाम्बरी)
अतिरिक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृ. क्र./शिक्षक–शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30–1/प्रवेश/2022–23 4738 रायपुर दिनांक 28/12/2022
प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, छ.ग शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. कुलसचिव, संबंधित विश्वविद्यालय .... को सूचनार्थ।
3. सर्व सूचनार्थ।

NBhambri
अतिरिक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

बी.एड. के प्रतीक्षा सूची के लिए आवेदन का प्रपत्र

प्रति,

प्राचार्य / संस्था महाविद्यालय का नाम --

1. अभ्यर्थी का पंजीयन (ID)

2. अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर

3. महाविद्यालय के प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का क्रम

4. पाठ्यक्रम का नाम – **बी.एड.**
5. अभ्यर्थी का नाम हिन्दी में श्री / श्रीमती / सुश्री ....

6. माता का नाम --
7. पिता / पति का नाम --
8. जन्मतिथि

D	D		M	M		Y	E	A	R

9. निवासी – **छत्तीसगढ़ / अन्य राज्य (√ करें)**
10. वर्ग – सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति **(√ करें)**
11. निवास पता --

----

12. शैक्षणिक योग्यता –

(i) अर्हकारी परीक्षा का रोल नंबर ------------------------------
(ii) महाविद्यालय का नाम ------------------------------
(iii) विश्वविद्यालय का नाम ------------------------------

अर्हकारी परीक्षा का नाम	कुल प्राप्ताक	कुल अंक	प्रतिशत

13. प्री बी.एड. परीक्षा का प्राप्तांक व संयुक्त मेरिट क्रम

प्रवेश अधिकारी या महाविद्यालय के अधिकृत
अधिकारी / कर्मचारी का हस्ताक्षर व सील
..
नाम ....
मोबाइल नंबर ....
आवेदन प्राप्त करने का तिथि व समय
--

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ....
अभ्यर्थी का नाम ....
मोबाइल नंबर ....

(दो प्रति में आवेदन करे तथा एक प्रति में पावती प्राप्त करें)
(अंकसूची / निवास प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।)